सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

फोटो
पट्टा धारक

नगर परिषद्, टोंक (राज.)

पट्टा-विलेख (फ्री होल्ड/लीज होल्ड)

संस्थागत

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि पट्टा विलेख

क्रमांक/ दिनांक

पट्टा धारक का नाम आयुष संस्थान चाकसू जरिये सचिव हरिराम गुर्जर पुत्र/पुत्री श्री

पत्नि पुत्र श्री कालूराम गुर्जर पति निवासी डुंगरी पो० बपुई त० बोली

निवासी जिला सवाई माधोपुर

....

अथवा

पट्टा धारक मैसर्स.............................. कार्यालय पता..............................

.... जरिये..............................

(पदनाम) श्री/श्रीमती/सुश्री.............................. पुत्र/पुत्री..............................

निवासी.............................. क्षेत्रफल 5396.44 वर्गमीटर

भूखण्ड सं.............................. में स्थित हैं।

योजना संस्थानिक प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक) .... को

नगर परिषद् टोंक (पट्टा कर्ता) द्वारा पट्टा धारक के पक्ष में उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक.............................. को

निष्पादित किया जाता है ।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1..............................

2..............................

आयुक्त
नगर परिषद्, टोंक

सभापति
नगर परिषद्, टोंक

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट-शर्तें पीछे पृष्ठ पर अंकित हैं।

• पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न हैं।

• Registered and Endorsement Attached

संस्थागत

पट्टा-विलेख की शर्ते (फ्री होल्ड/लीज होल्ड) (नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974)

पट्टे की शर्ते

1. पट्टा धारक द्वारा भूखण्ड/निर्मित क्षेत्र का उपयोग वहीं किया जाएगा जिस उपयोग हेतु पट्टा विलेख जारी किया गया है। भूखण्ड पर प्रचलित भवन विनियम में सम्बन्धित अनुसूची में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय होंगे, परन्तु प्रत्येक उपयोग हेतु निर्धारित मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावें।
2. पट्टा धारक उक्त भूखण्ड को विक्रय अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित कर सकेगा तथा भूखण्ड को उप-पट्टे (सब-लीज) पर भी दे सकेगा।
3. उक्त भूखण्ड के विक्रय/हस्तान्तरण पर क्रेता के पक्ष में नाम परिवर्तन के लिए निकाय में निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ पंजीकृत विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत किये जायेंगे, परन्तु पट्टाधारक के उत्तराधिकारी के मामले में कोई राशि देय नहीं होगी।
4. पट्टा विलेख को सरकार/जीवन बीमा निगम/ऋणदात्री संस्थाओं के पास बंधक (मोर्गेज) रखा जा सकेगा, जिसके लिए स्थानीय निकाय के अनापत्ति प्रमाण पत्र (**NOC**) की आवश्यकता नहीं होगी।
5. भूखण्ड पर भवन निर्माण प्रचलित भवन विनियमों के मानदण्डों तहत करना होंगा।
6. पट्टा कर्ता (स्थानीय निकाय) की बिना स्वीकृति के भूखण्ड का उपविभाजन/पुनर्गठन व भू उपयोग परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
7. पट्टा विलेख जारी करने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्माण करना होगा। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर निर्धारित दर से अवधि विस्तार किया जा सकेगा अन्यथा पट्टा विलेख निरस्त किया जा सकता हैं।
8. पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् नियम विरूद्ध तथा तथ्य छुपाकर पट्टा विलेख प्राप्त किया गया है तो उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त किया जा सकेगा।
9. अन्य..

लीज होल्ड पट्टे हेतु अतिरिक्त शर्ते

1. पट्टा धारक ने निहित नियमों के तहत एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी है। अतः उक्त भूखण्ड 99 वर्षीय लीज से मुक्त हैं।

अथवा

पट्टा धारक को प्रत्येक वर्ष ली राशि..............................प्रति वर्ष आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। एक बार नियत की गई लीज राशि 15 वर्ष के पश्चात् और भूखण्ड के प्रत्येक विक्रय/हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

2. अन्य संस्थागत प्रकरण में 5% सुविधा क्षेत्र प्रेमाइस 12x19=228.0 वर्गमीटर छोड़ा गया है

स्टाम्प इ्यूटी हेतु पट्टे की प्रति फल राशि।

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण:-

पूर्व अन्य भूमि ख.न. 162 पश्चिम मुख्य सड़क 200'-0"

उत्तर अन्य भूमि ख.न.15[illegible] दक्षिण अन्य भूमि ख.न.158

साइट प्लान

N
W E
S

पड़ोस
चौड़ाई
पड़ोस लम्बाई भूखण्ड सं......... पड़ोस
क्षेत्रफल.........
सड़क की चौड़ाई

साइट प्लान अलग से भी संलग्न कर सकते हैं।

पट्टा धारक के हस्ताक्षर

1................................ अंगूठा निशान

2................................ अंगूठा निशान

साक्षी:-

हस्ताक्षर..............................

नाम.............................. अंगूठा निशान

पता..............................

आयुक्त
नगर परिषद, टोंक

सभापति
नगर परिषद, टोंक

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

* पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न हैं।
* Registered and Endorsement Attached

नगर परिषद, टोंक (राज.)

साईट प्लान–आवासीय/व्यवसायिक/मिश्रित/संस्थागत/औद्योगिक/पर्यटन उद्योग

योजना/गैर योजना राजस्व ग्राम–उस्मानपुरा आबाद पटवार हल्का डारडाहिन्द आराजी संख्या 157/1

भूखण्ड संख्या................................ भूखण्ड का आकार अनियमित

पट्टा धारक का नाम–आयुष्मि संस्थान–चामसु भारिये सचिव हरिराम गुर्जर पुत्र श्री कालूराम गुर्जर निवासी डुंगरी पो० बपुई ... बोली जिला स० माधोपुर

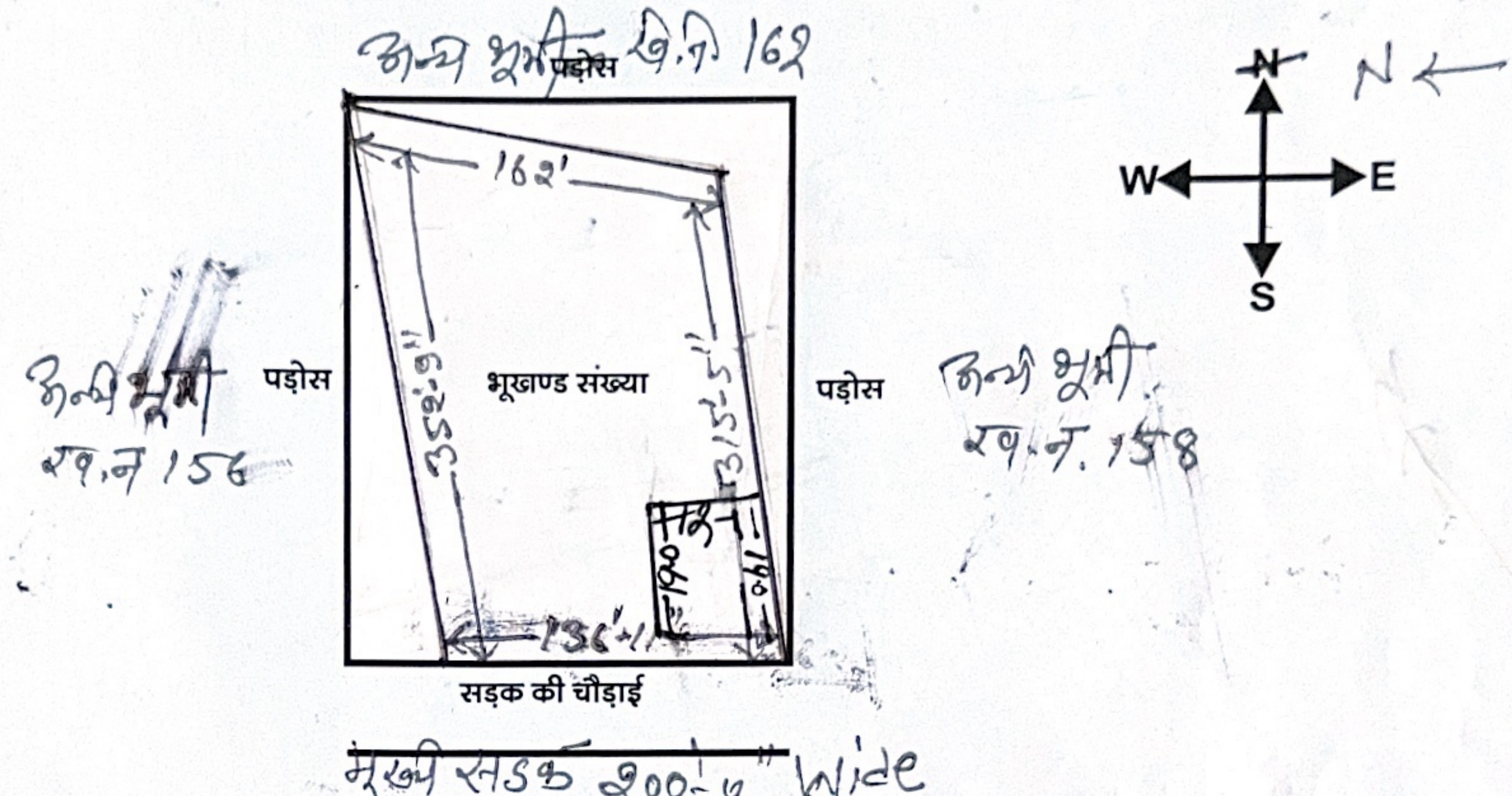

पैमाना (स्केल) N.T.S.

भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 5396.44 वर्गमीटर अर्थात् 4513.75 वर्गमीटर

5% सुविधा क्षेत्र 12×19 = 228.0 वर्गमीटर

नोटः भूखण्ड पर भवन निर्माण, निर्धारित अवधि में प्रचलित भवन विनियमों के अनुरूप किया जावे।

कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता	नगर नियोजक सहायक	आयुक्त	सभापति
नगर परिषद, टोंक	नगर परिषद, टोंक	नगर परिषद, टोंक	नगर परिषद, टोंक

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न हैं।
- Registered and Endorsement Attached